जे वी. गुप्ता और □ मरजीत चौधरी, जे.जे. के समक्ष।

बलबीर दीवान कोल्ड स्टोरेज और जनरल मिल्स,-

याचिकाकर्ता.

बनाम

नवीन चंदर, प्रतिवादी

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 2478

9 मार्च 1989

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V)—ओ. 26-नियम 9 और 10-स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट-ऐसी रिपोर्ट पर आपत्तियों पर नियम 10 द्वारा विचार नहीं किया गया है-न्यायालय आयुक्त को संदर्भित मामलों पर मुद्दे तय नहीं कर सकता है-आयुक्त की व्यक्तिगत रूप से जांच करना सही तरीका है।

माना गया कि उप-नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 26 के नियम 10 के उप-नियम 2 के बाद लागू होता है। यदि उस उप नियम के तहत किसी आयुक्त की □ दालत में पार्टियों द्वारा या स्वयं □ दालत द्वारा जांच की जाती है, तो आयुक्त की जांच पर, □ दालत, यदि प्रक्रिया से □ संतुष्ट कारणों से ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकती है जैसा कि वह उचित समझती है. इस प्रकार, आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियों पर नियम 10 के तहत विचार नहीं किया जाता है। किसी भी मामले में, भले ही आपत्तियां न्यायालय का ध्यान

आकर्षित करने के लिए दायर की गई हों कि आयुक्त की रिपोर्ट क्यों स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, फिर भी उस संबंध में कोई मुद्दा बनाने का सवाल ही नहीं उठता। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट मुकदमे की विषय-वस्तु नहीं है और इसलिए, इस आशय का कोई भी मुद्दा तैयार करना पूरी तरह से □ नुचित था।

(पैरा 4)

इसके □ लावा, यह माना गया कि पार्टियां उस तथ्य को साबित करने के लिए □ पने स्वतंत्र साक्ष्य का नेतृत्व कर सकती हैं जो स्थानीय आयुक्त द्वारा जांच का विषय था। यह स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट निर्णायक नहीं है बल्कि यह केवल रिकॉर्ड का हिस्सा है। उक्त रिपोर्ट की परवाह किए बिना पक्ष □ पने मामले का समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(पैरा 4).

माना गया कि O. 26, नियम 10 के प्रावधानों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम 9 के तहत नियुक्त स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर किसी भी आपत्ति को आमंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा इसमें निहित दोषों के बारे में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है और यदि किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से □ संतुष्ट है, ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे लेकिन रिपोर्ट के संबंध में कोई भी

पक्ष किसी भी मुद्दे पर दावा करने का हकदार नहीं है। संहिता के आदेश 26 के नियम 10 के उप-नियम 2 के तहत एकमात्र प्रावधान यह है कि आयुक्त की व्यक्तिगत रूप से खुली □ दालत में या तो □ दालत के द्वारा या □ दालत की □ नुमति से किसी भी पक्ष द्वारा जांच की जाए।

(पैरा 4).

श्री एस.के. धवन, एचसीएस, उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, करनाल के न्यायालय के दिनांक 24 सितंबर, 1988 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर निम्नलिखित मुद्दे तय करना और प्रतिवादी को इस मुद्दे पर □ पना साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देना: -

क्या स्थानीय आयुक्त की 23 □ गस्त 1988 की रिपोर्ट रद्द किये जाने योग्य है? (ओ. पी. आपत्तिकर्ता प्रतिवादी)।

दावा:-विभाजन का मुकदमा।

पुनरीक्षण में दावा:-निचले न्यायालय के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ता के लिए वकील सी. बी. गोयल, वकील श्री मदन जिंदल।

प्रतिवादी की ओर से वकील □ निल खेत्रपाल।

आदेश

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह याचिका 24 सितंबर 1988 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर एक मुद्दा तय किया गया था और प्रतिवादी को उक्त मुद्दे पर ☒ पना साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया गया था। .

(2) वादी ने बँटवारा हेतु वाद दायर किया। उन्होंने साक्ष्य का निष्कर्ष निकाला और जब मामला प्रतिवादी के साक्ष्य के लिए तय किया गया तो उन्होंने नागरिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश 26 नियम 9 के तहत दिए गए मुकदमे की संपत्ति के सीमांकन के लिए स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। परिणामस्वरूप, तहसीलदार, करनाल को स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया गया और उन्होंने ☒ पनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां उठाई गईं और उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने तहसीलदार (सेल्स), करनाल को स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया, जिन्होंने 25 नवंबर, 1987 को ☒ पनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा आपत्तियां दायर की गईं। मुख्य आपत्तियाँ यह थीं कि स्थानीय आयुक्त ने वित्तीय आयुक्त और उच्च न्यायालय के नियमों के ☒ नुसार भूमि का सीमांकन नहीं किया है; और आदेश योल. मैं, ☒ ध्याय 1-एम. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय आयुक्त ने पार्टियों को नोटिस नहीं दिया है और रिपोर्ट उनकी ☒ नुपस्थिति में प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति याचिका का जवाब, वादी-प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था, जिसने दलील दी थी कि

स्थानीय आयुक्त ने कानून के उपरोक्त प्रावधानों के ☒नुसार सख्ती से मुकदमे की भूमि का सीमांकन किया है और प्रतिवादी-आपत्तिकर्ता को नोटिस दिया गया था जो उपस्थित था और इस आशय का एक हलफनामा फ़ाइल में है। इसलिए स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को खारिज करने की कोई बात नहीं है। मामले में कार्यवाही में देरी करने के लिए ही आपत्तियां दाखिल की गई हैं। ट्रायल कोर्ट ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के बिंदु पर निम्नलिखित ☒तिरिक्त मुद्दा तय किया:

"क्या 23 ☒गस्त 1988 की स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट रद्द की जा सकती है।"

ओ. पी. आपत्तिकर्ता-प्रतिवादी।

इसी से ☒संतुष्ट होकर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में यह याचिका दायर की है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के ☒नुसार, इस मुद्दे पर पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देने से पहले आपत्तियों पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। ☒केले बैठे हुए याचिकाकर्ता की ओर से उक्त तर्क के समर्थन में कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया। उक्त निर्णयों पर विचार करने के बाद, मेरा विचार था कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि आपत्तियां आमंत्रित करने, मुद्दा तैयार करने और साक्ष्य मांगने की प्रथा संहिता के आदेश s26 नियम (9 और 10) के प्रावधानों के खिलाफ थी। इतना ही नहीं, यह प्रथा ☒नावश्यक रूप से कार्यवाही में देरी करती है जो संहिता के प्रावधानों के ☒नुसार ☒नुचित नहीं थी। नतीजतन, इस विवाद को हल करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था। इस तरह यह मामला इस बेंच के समक्ष संदर्भ में आया है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि संहिता के आदेश 26 के नियम 10 के तहत आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हो सकते हैं, यदि एक आयुक्त को संहिता के आदेश 26 के नियम 9 के तहत नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसके नियम 10 को पढ़ने से यह विचार आता है कि आपत्तियाँ स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की जा सकती हैं। विद्वान वकील के ☒ नुसार व्यापक हित में यह आवश्यक है ताकि न्यायालय आपत्तियों के आधार पर ☒ पनी राय बना सके कि उक्त रिपोर्ट मुकदमे में साक्ष्य का हिस्सा होनी चाहिए या नहीं। विद्वान ☒ धिवक्ता के ☒ नुसार लंबे समय से चली आ रही यह प्रथा ☒ कारण नहीं कही जा सकती। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने ***राम गोपाल बनाम पवन कुमार[1], नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बनाम प्रेमिंदर सिंह और ☒ न्य[2], वरयाम सिंह और ☒ न्य बनाम लछमन दास और ☒ न्य[3] का हवाला दिया। आशुतोष और ☒ न्य बनाम आर. सी. डे और ☒ न्य[4], और हरभजन सिंह बनाम श्रीमती शकुंतला देवी शर्मा और ☒ न्य[5]।*** दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने ***जवाहर लाल बनाम मंगू राम[6]*** का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संहिता के

---

[1] (1) 1983 हरियाणा रेंट रिपोर्टर 6.

[2] (2) 1982 करंट लॉ जर्नल, 677।

[3] (3) एस.ए.ओ. क्रमांक 52 सन् 1962 का निर्णय 4 फरवरी 1986 को हुआ।

[4] (4) ए.आई.आर. 1953 पटना 133.

[5] (5) ए.आई.आर. 1976 दिल्ली 175.

[6] (6) 1988 (2) पी.एल.आर. 139.

आदेश 26 के नियम 10 के तहत ऐसी किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया गया है। राम गोपाल की सहजता (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा एक विचार रखा गया है कि स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियों का निपटारा पहले किया जाना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता है, अंतिम बहस में मामले का निपटारा करना संभव नहीं होगा और यदि उस समय आपत्तियां बरकरार रहती हैं तो पक्षों को सबूत पेश करने के लिए एक नया अवसर देना होगा जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही में देरी होगी। रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं या नहीं, यह बिंदु उसमें तय नहीं किया गया था। इसी तरह, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शॉर्ट्स मामले (सुप्रा) में भी ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया गया था। उसमें बस यह देखा गया कि “यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कीं। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को आपत्तियों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट को बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।" वरयाम सिंह के मामले (एसएओ नंबर 52/1962) (सुप्रा) के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि "स्वीकार्य रूप से आदेश 26 नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो स्थानीय आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है, अपनी रिपोर्ट में पार्टियों द्वारा आपत्तियों के लिए विशेष रूप से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी आपत्तियों को आमंत्रित करना और उनका निपटान करना निश्चित रूप से एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा है। इस प्रकार, इस न्यायालय के किसी भी मामले में इस तरह का निर्णय नहीं लिया गया है।

आशुतोष के मामले (सुप्रा) में पटना उच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 5 में कहा, "मुझे नहीं लगता कि कानून या तथ्य में इस धारणा के लिए कोई वारंट है। जब आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियाँ दर्ज की जाती हैं, तो आपत्तियाँ आम तौर पर किसी न किसी आधार पर रिपोर्ट की शुद्धता को चुनौती देती हैं। आर.10 के उप-नियम (3) के तहत, न्यायालय के लिए यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या आयुक्त की कार्यवाही से संतुष्ट होने के कोई कारण हैं और यह निर्णय लेना चाहिए कि आगे की जांच की जानी चाहिए या नहीं। उस प्रश्न पर निर्णय लेने में, न्यायालय को उस समय उपलब्ध सामग्रियों पर आयुक्त की रिपोर्ट की शुद्धता या न्यथा पर विचार करना होगा। आपत्तियों को खारिज करने या आयुक्त की रिपोर्ट की पुष्टि करने के आदेश का मतलब यह नहीं है कि न्यायालय ने पने कार्यों को त्याग दिया है और केवल आयुक्त की रिपोर्ट पर और प्रश्न से संबंधित किसी भी न्य प्रासंगिक सबूत के बावजूद या उसके पहले ही किसी मुद्दे पर निर्णय ले लिया है। मुझे नहीं लगता कि दालत को ऐसी ताजा सामग्री के आलोक में आयुक्त की रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने से रोका गया है, जिसे कार्रवाई के पक्षकारों द्वारा कानूनी तौर पर रिकॉर्ड में लाया जा सकता है। उप-नियम (2) यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आयुक्त की रिपोर्ट और उसके द्वारा लिए गए साक्ष्य मुकदमे में साक्ष्य होंगे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे; न्यायालय, या न्यायालय की नुमति से, मुकदमे का कोई भी पक्ष खुले न्यायालय में आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा निर्दिष्ट या उसकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित जांच कर सकता है। यह स्पष्ट है कि- जब न्यायालय आयुक्त की रिपोर्ट पर कुछ

आपत्तियों को खारिज कर देता है, तो उसे बाद के चरण में 'स्वतः संज्ञान' या मुकदमे के किसी भी पक्ष के कहने पर आयुक्त की जांच करने से नहीं रोका जाता है; न ही न्यायालय ऐसे न्य साक्ष्यों के आलोक में आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करने से खुद को रोकता है जो मुकदमे के पक्षकारों द्वारा दिए जा सकते हैं। इसके पैरा 6 में न्यायालय ने आगे कहा कि "इस मामले को सुविधा के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यदि आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार मुकदमे की सुनवाई तक स्थगित कर दिया जाता है, तो आयुक्त की रिपोर्ट में पाए गए किसी भी दोष के लिए सुनवाई को स्थगित या स्थगित करना आवश्यक होगा और पार्टियों को स्थगित या स्थगित मुकदमे के आगे के खर्चों पर लगाया जाएगा। . इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि यह प्रथा आदेश 26 के नियम 13 और 14 के प्रावधानों के आधार पर एक गलत सादृश्य के कारण उत्पन्न हुई।मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रथा शुरू हुई, क्योंकि आयुक्त की रिपोर्ट पर तकनीकी आपत्तियों से पहले चरण में निपटना सुविधाजनक था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या आयुक्त की कार्यवाही से संतुष्ट होने का कोई कारण था या आगे की जांच आवश्यक थी या नहीं। ।" हरभजन सिंह के मामले (सुप्रा) में, यह माना गया कि "चूंकि आयुक्त की जांच प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है, इसलिए किरायेदार के पास स्पष्ट रूप से रिपोर्ट या जिस तरह से जांच की गई थी, उस पर हमला करने का कोई वसर नहीं था। यह किरायेदार द्वारा केवल उस रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करके किया जा सकता था जो किरायेदार ने किया था और ऐसा होने पर, आपत्तियों से निपटना प्राधिकरण के लिए निवार्य था। रिपोर्ट और उसके साथ प्रस्तुत सामग्री का उपयोग आपत्तियों

को खारिज किए जाने के बाद ही कार्यवाही के उद्देश्य के लिए किया जा सकता था। इसलिए, उपर्युक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया कि क्या आपत्तियाँ सुनवाई योग्य थीं और यदि हां, तो क्या न्यायालय मुद्दा तय कर सकता है, और पार्टियों को उन मुद्दों पर साक्ष्य पेश करने का निर्देश दे सकता है। जैसा कि पहले देखा गया, वरयाम सिंह के मामले (सुप्रा) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं देखा कि संहिता का आदेश 26 नियम 10 जो स्थानीय आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है, विशेष रूप से आयुक्त की रिपोर्ट पर पार्टियों द्वारा आपत्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है लेकिन निश्चित रूप से ऐसी आपत्तियों को आमंत्रित करना और उनका निपटान करना एक ☒ च्छी तरह से स्थापित प्रथा है। संहिता के आदेश 26 के तहत स्थानीय आयुक्तों की नियुक्ति ☒ लग-☒ लग उद्देश्यों के लिए की जाती है और उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया भी ☒ लग-☒ लग प्रदान की जाती है। यदि स्थानीय आयुक्त को ☒ चल संपत्ति का विभाजन करने के लिए संहिता के आदेश 26 नियम 13 के तहत नियुक्त किया जाता है, तो उसके नियम 14 में किसी भी आपत्ति की सुनवाई का प्रावधान है जो पार्टियां उसके रिपोर्ट पर कर सकती हैं। इसी प्रकार, यदि स्थानीय आयुक्त को नियम 11 के तहत खातों की जांच या समायोजन के लिए नियुक्त किया जाता है। नियम 12 के उप-नियम (2) के तहत, आयुक्त की कार्यवाही और रिपोर्ट मुकदमे में साक्ष्य होगी, लेकिन जहां न्यायालय के पास उनसे ☒ संतुष्ट होने का कारण है, वह ऐसी आगे की जांच का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे। जहां तक संहिता के आदेश 26 के नियम 9 के तहत नियुक्त किए जाने वाले आयुक्त का संबंध है, नियम

10 उसके लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। नियम 10 के उप-नियम (2) में आगे प्रावधान है कि "आयुक्त की रिपोर्ट और उसके द्वारा लिए गए साक्ष्य (लेकिन रिपोर्ट के बिना साक्ष्य नहीं) मुकदमे में साक्ष्य होंगे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे; लेकिन न्यायालय या, न्यायालय की ☒ नुमति से, मुकदमे का कोई भी पक्ष खुले न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से आयुक्त की जांच कर सकता है, जो उसे संदर्भित या उसकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित हो, या उसकी रिपोर्ट के संबंध में हो,या जिस तरीके से उसने जांच की है।" नियम 10 का उप-नियम (3) निम्नलिखित शर्तों में है:

"जहां न्यायालय किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से ☒ संतुष्ट है, वह ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे।"

उप-नियम (3) आदेश 26 के नियम 10 के उप-नियम (2) के बाद लागू होता है।यदि उस उप-नियम के तहत किसी आयुक्त की ☒ दालत में पार्टियों द्वारा या स्वयं ☒ दालत द्वारा जांच की जाती है, तो आयुक्त की जांच पर, ☒ दालत, यदि किसी कारण से प्रक्रिया से ☒ संतुष्ट है, तो ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकती है जैसा कि उचित लगता है . इस प्रकार, आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्तियों पर नियम 10 के तहत विचार नहीं किया जाता है। किसी भी मामले में, भले ही आपत्तियां न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए मर चुकी हों कि आयुक्त की रिपोर्ट क्यों स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, फिर भी उस मान्यता में कोई मुद्दा बनने का सवाल ही नहीं उठता. स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट मुकदमे का विषय नहीं है और इसलिए, इस आशय का कोई भी मुद्दा

तैयार करना पूरी तरह से ☒नुचित था। इससे मामले में ☒नावश्यक देरी होती है। उस स्थिति में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित फैसले में पटना उच्च न्यायालय ने कहा था, पक्ष उस तथ्य को साबित करने के लिए ☒पने स्वतंत्र साक्ष्य का नेतृत्व कर सकते हैं जो स्थानीय आयुक्त द्वारा जांच का विषय था। नियम 10 के ☒नुसार, आयुक्त की रिपोर्ट मुकदमे में साक्ष्य होगी और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उक्त रिपोर्ट निर्णायक नहीं है, बल्कि यह केवल रिकॉर्ड का हिस्सा है। पार्टियां उक्त रिपोर्ट की परवाह किए बिना ☒पने मामले का समर्थन करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगी। जवाहर लाल के मामले (सुप्रा) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक पुराने मामले में इस मामले पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और उसके पैरा 5 में यह देखा गया था कि "आदेश XXVI नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता, स्थानीय जांच करने के लिए आयुक्तों से संबंधित है। उसके नियम 10 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि आयुक्त की रिपोर्ट और उसके द्वारा लिए गए साक्ष्य (लेकिन रिपोर्ट के बिना साक्ष्य नहीं) मुकदमे में साक्ष्य होंगे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, लेकिन न्यायालय या न्यायालय की ☒नुमति से, मुकदमे का कोई भी पक्ष खुले न्यायालय में आयुक्त से व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा निर्दिष्ट या उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी मामले से संबंधित जांच कर सकता है, या उनकी रिपोर्ट के संबंध में, या उसने किस तरीके से जांच की है। इस प्रकार, स्थानीय आयुक्तों द्वारा की गई ऐसी रिपोर्टों पर आपत्तियां दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। ☒न्यथा भी, यदि स्थानीय आयुक्तों द्वारा की गई ऐसी रिपोर्टों पर आपत्तियां दर्ज करने की ☒नुमति दी जाती है, तो विवाद में साइट

की सटीक स्थिति का पता लगाने का कोई ☒न्य तरीका नहीं होगा। स्थानीय आयुक्त द्वारा निरीक्षण पार्टियों की उपस्थिति में किया जाता है। इसलिए, उक्त रिपोर्ट को आम तौर पर स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति करने वाले न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि उसमें कोई ☒ंतर्निहित दोष न बताया गया हो। इस प्रकार, आदेश 26 नियम 10 के प्रावधानों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम 9 के तहत नियुक्त स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट पर किसी भी आपत्ति को आमंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय का ध्यान उसमें निहित दोषों की ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी कोई आपत्ति दायर की जाती है, न्यायालय इस पर विचार कर सकता है और यदि किसी भी कारण से आयुक्त की कार्यवाही से ☒संतुष्ट है, तो ऐसी आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझे लेकिन कोई भी पक्ष रिपोर्ट के संबंध में किसी भी मुद्दे का दावा करने का हकदार नहीं है। संहिता के आदेश 26 के नियम 10 के उप-नियम (2) के तहत एकमात्र प्रावधान खुले न्यायालय में आयुक्तों की व्यक्तिगत रूप से या तो न्यायालय द्वारा या न्यायालय की ☒नुमति से किसी भी पक्ष द्वारा जांच करना है। आपत्ति, यदि पार्टियों द्वारा दायर की जाती है, तो संहिता के आदेश 26 के नियम 10 के तहत न्यायालय द्वारा स्थानीय आयुक्त की जिरह, यदि कोई हो, के बाद विचार किया जाएगा और वह भी ☒ंतिम सुनवाई के समय ☒न्य सबूतों के साथ।

(5) नतीजतन, यह याचिका सफल होती है और विवादित आदेश रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, संहिता के आदेश 26 के नियम 10 के उप-नियम (2) के तहत पार्टियों के लिए स्थानीय आयुक्त की जांच करना खुला होगा।

(6) चूँकि मोशन सुनवाई के समय इस न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए पक्षों को 16 मार्च 1989 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। चूंकि मुकदमा जुलाई, 1984 से ट्रायल कोर्ट में लंबित है, इसलिए इसकी सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि साक्ष्य, यदि कोई हो, पार्टियों द्वारा पनी जिम्मेदारी पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके लिए प्रत्येक पक्ष को निष्कर्ष निकालने के लिए एक वसर दिया जाएगा।

आर.एन.आर.

स्वीकरण : स्थानीय भाषा में नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा